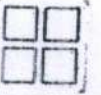




कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, जबलपुर म.प्र.

ब्लॉक- 15, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर (म.प्र.)



Email-Id jabalpur@motownplan.gov.in

Phone No. 0761-2401981

3018

क्रमांक .../नगानि/18/ JBLLP4971

दिनांक 22/10/2018

प्रति,

1. श्री हर्ष पटेल पिता श्री श्वण कुमार पटेल
निवासी- 933, गोलबाजार,
जबलपुर म0प्र0
2. श्री मंगल प्रसाद पटेल पिता श्री टेकचंद पटेल
निवासी- सीनियर एम.आई.जी.-2 श्री परिसर, संजीवनी नगर, गढ़ा
जबलपुर म0प्र0

विषय:- मौजा/ग्राम कछपुरा के नं.बं. 501, प.ह.नं. 4, खसरा क्रमांक 234, 262/1, 264/1, 265, 235/1, 235/2, एवं 254/2 क्रमशः रकबा 0.514 हेक्ट0, 0.259 हेक्ट0, 0.101 हेक्ट0, 0.202 हेक्ट0, 0.479 हेक्ट0, 0.480 हेक्ट0, एवं 0.188 हेक्ट0 कुल रकबा 2.223 हेक्टेयर तथा ग्राम लक्ष्मीपुर नं.बं. 643, प.ह.नं. 4, खसरा क्रमांक 46, 47, 48 एवं 49/1 क्रमशः रकबा 0.688 हेक्ट0, 0.154 हेक्ट0, 0.162 हेक्ट0 एवं 0.702 हेक्ट0 कुल रकबा 1.706 हेक्ट0 इस प्रकार कुल दोनों ग्रामों की भूमि रकबा 3.929 हेक्ट0 पर आवासीय भू-खण्डीय विकास अनुज्ञा बावत।

संदर्भ:- आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक JBLLP4971 दिनांक 15.10.2018 एवं अन्य।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, आपके द्वारा प्रस्तुत संदर्भित आवेदन पत्र के साथ संलग्न भूमि स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर मौजा/ग्राम कछपुरा के नं.बं. 501, प.ह.नं. 4, खसरा क्रमांक 234, 262/1, 264/1, 265, 235/1, 235/2, एवं 254/2 क्रमशः रकबा 0.514 हेक्ट0, 0.259 हेक्ट0, 0.101 हेक्ट0, 0.202 हेक्ट0, 0.479 हेक्ट0, 0.480 हेक्ट0, एवं 0.188 हेक्ट0 कुल रकबा 2.223 हेक्टेयर तथा ग्राम लक्ष्मीपुर नं.बं. 643, प.ह.नं. 4, खसरा क्रमांक 46, 47, 48 एवं 49/1 क्रमशः रकबा 0.688 हेक्ट0, 0.154 हेक्ट0, 0.162 हेक्ट0 एवं 0.702 हेक्ट0 कुल रकबा 1.706 हेक्ट0 इस प्रकार कुल दोनों ग्रामों की भूमि रकबा 3.929 हेक्ट0 पर आवासीय भू-खण्डीय विकास की अनुज्ञा हेतु धारा 29(1) में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

विषयांकित भूमि का स्थल निरीक्षण संयुक्त रूप से दिनांक 26.10.2018 को निर्देशानुसार प्रस्तावित भूमि का स्थल निरीक्षण संयुक्त रूप से भूमि स्वामी के वास्तुविद श्री शैलेश नेमा के साथ कार्यालय के श्री राजेश दीवान (स0मा0चि0) द्वारा किया गया है। स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया की विषयांकित भूमि के उत्तर-पश्चिम दिशा में ओमती नाला स्थित है जिस पर से नगर निगम जबलपुर के कार्यपालन यंत्री द्वारा पत्र क्रमांक कालोनी सेल/ 2018-19/252 दिनांक 29.09.2018 द्वारा स्वयं के ध्वज आवेदक गणों को प्लॉटों के अधीन पुलिया निर्माण अनुमति प्रदान की गई है। उक्त अनुमति अनुसार आवेदकगण द्वारा 12.00 मीटर चौड़ा पहुँच मार्ग प्रस्तावित किया गया है। शेष आस-पास की भूमि रिक्त है। वर्तमान में उक्त भूमि पर जाने के लिए खसरा नं. 260 में निर्मित कालोनी में से प्राप्त है।

म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-3/155/2013/32 भोपाल दिनांक 29 जून 2013 अनुसार नगर नियोजन के मूल सिध्दांतों के अंतर्गत मार्गों का आपसी समन्वय स्थापित किये जाने की परितक्षिता के महेंजर मार्गों को प्रस्तावित करने संबंधी दिशा निर्देश भी दिये गये हैं। विषयांकित भूमि के आस-पास लगी भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित स्वीकृत मार्गों की निरंतरता पर भूखण्डों का समयोजन किया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त तथ्यों एवं प्रतिवेदन के आधार पर आपके द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व दस्तावेजों एवं शपथ पत्र क्रमांक ए.एन.874463 दिनांक 28 मई 2018 प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार आवेदकगणों द्वारा संपूर्ण भूमि पर किये जाने वाले विकास कार्यों को आपसी समझौते के तहत अनुमोदन अनुसार पालन किया जाएगा तथा किसी भी प्लॉट विवाद या सीमांकन विवाद या अन्य किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर दोनों आवेदकगणों की बराबर जिम्मेदारी होगी। श्री हर्ष पटेल को नगर पालिक निगम जबलपुर द्वारा प्रदत्त कालोनी रजिस्ट्रेशन प्रमाण

Signature valid
Digitally signed by EERAJ ANAN LIKHAR
Date: 2018.11.03 16:13:53 IST

TNCP Approved Letter

क्रमांक 215 दिनांक 15.10.2015 प्रदाय किया गया है साथ ही श्री मंगल प्रसाद पटेल को नगर पालिक निगम जबलपुर द्वारा कालोनी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 281 दिनांक 20.04.2018 प्रदाय किया गया है। प्रदत्त कालोनाईजिंग की शर्तों को आवेदकगणों को पालन करना अनिवार्य होगा। तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जबलपुर के पत्र क्रमांक 160, 161, 285 दिनांक 03.09.2016 के द्वारा म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के तहत भूमि का व्यपवर्तन कर निर्धारण किया गया है। कार्यपालन अभियंता म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. जबलपुर संभाग के पत्र क्रमांक 2343 दिनांक 07.03.2018 एवं 305 दिनांक 25.01.2018 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। जबलपुर विकास प्राधिकरण जबलपुर के पत्र क्रमांक 4154 दिनांक 27.02.2018 एवं 4306 दिनांक 15.03.2018, के द्वारा अनापत्ति प्रदान की गई है जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित भूमि जबलपुर विकास प्राधिकरण की किसी भी योजना में नहीं आती है। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग कोतवाली जबलपुर के पत्र क्रमांक 39 दिनांक 30.01.2018 एवं क्रमांक 130 दिनांक 29.05.2018 द्वारा नजूल अनापत्ति प्रदाय किया गया है। न्यायालय तहसीलदार नजूल कोतवाली जबलपुर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 38/अ-12/15-16 दिनांक 30.09.2016 से विषयावित्त भूमि का सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रदाय किया गया है जिसे आवेदक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस कार्यालय पत्र क्रमांक JBLLU6904, 6906 दिनांक 08.06.2016 एवं JBLLU13583 दिनांक 09.03.2018, JBLLU6908 दिनांक 09.06.2016 एवं 14549 दिनांक 15.06.2018 द्वारा भूमि उपयोग प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है तदनुसार विषयावित्त भूमि का भू-उपयोग प्रस्तावित आवासीय तथा स्थित नाले से 6.00 मीटर (सेवापथ + वृक्षारोपण) निर्दिष्ट है।

आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्तुत विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्तियां एवं इस कार्यालय द्वारा प्रदाय किया गया भू-उपयोग प्रमाण पत्र अनुसार एवं कार्यपालन यंत्री नगर निगम जबलपुर द्वारा प्रदत्त पत्र क्रमांक कालोनी सेल/ 2018-19/252 दिनांक 29.09.2018 द्वारा स्वयं के व्यय से आवेदक गणों को समस्त शर्तों के अधीन पुलिया निर्माण अनुमति प्रदान किये जाने पर विकास योजना में निर्दिष्ट आवासीय भू-उपयोग परिसर में भूखण्डीय विकास अनुज्ञा हेतु संलग्न अभिन्यास मानचित्र को म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1973 की धारा 30(1)(ख) के निर्दिष्ट प्रावधानों एवं म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम 2(5)(क) एवं नियम-27 के अधीन अनुमोदित कर वर्णित शर्तों के साथ दी जाकर म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1961 (क्रमांक 37 सन-1961) और उसके अधीन बनाये गये म0प्र0 नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्त) नियम-1998 संशोधित नियम-19 अप्रैल 2012 के समस्त प्रावधानों एवं शर्तों का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सक्षम अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ प्रेषित है।

1. निम्नलिखित अधिनियम नियम/सक्षम प्राधिकारी तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा-

अ. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1961 (क्रमांक-37 सन-1961)

ब. नजूल विभाग, जबलपुर

स. म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

द. अन्य किसी अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत कोई अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो, तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। यदि किसी अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत कोई अन्य विभाग से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, तो उसे प्राप्त करने का दायित्व आवेदक का होगा। संबंधित किसी विभाग को आपत्ति होने पर इस कार्यालय को वैधानिक साक्ष्यों सहित 15 दिनों

अवगत कराया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर यह माना जावेगा कि किसी विभाग को उक्त अनुमोदन से कोई आपत्ति नहीं है।

2. म0प्र0 नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्त) नियम-1998 के नियम-3 के तहत श्री हर्ष चन्द को नगर पालिक निगम जबलपुर द्वारा प्रदत्त कालोनी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 215 दिनांक 15.10.2015 प्रदाय किया गया है साथ ही श्री मंगल प्रसाद पटेल को नगर पालिक निगम जबलपुर द्वारा प्रदत्त कालोनी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 281 दिनांक 20.04.2018 प्रदाय किया गया है। तथा कार्यपालन यंत्री नगर निगम जबलपुर द्वारा प्रदत्त पत्र क्रमांक कालोनी सेल/ 2018-19/252 दिनांक 29.09.2018 द्वारा स्वयं के व्यय से आवेदक गणों को शर्तों के अधीन पुलिया निर्माण अनुमति की समस्त शर्तों का पालन अन्य संबंधित सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के पश्चात् ही सक्षम प्राधिकारी, आयुक्त, नगर पालिक निगम, जबलपुर द्वारा अनुमोदित अभिन्यास मानचित्र अनुसार विकास कार्य की अनुमति प्रदत्त की जावेगी।

3. यदि आवेदित भूमि में से यदि हाईटेशन विद्युत लाईन प्रस्तावित हो तो म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 52 के अनुसार स्थल पर स्थित विद्युत लाईन अथवा प्रस्तावित विद्युत लाईन के नीचे नियमानुसार भूमि खले रूप में नहीं होगी।

Signature valid
Digitally signed by DEEPAJ AN
LIKHAAR
Date: 2018.11.03 16:13:53 IST

स भूखण्ड पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा तब तक भवन अनुमति जारी न की जाये जब तक आवेदक द्वारा उक्त विद्युत लाइन का स्थान पर स्थानांतरित न कर दी जाये।

प्रश्नाधीन भूमि नगर निगम जबलपुर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत है तथा नगर निगम क्षेत्रांतर्गत कालोनी विकास हेतु म0प्र0 नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीरिंग निबन्धन तथा शर्तें नियम-1998) प्रभावशील है। उक्त नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी आयुक्त नगर पालिक निगम है। प्रकरण में म0प्र नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीरिंग निबन्धन तथा शर्तें नियम-1998) के अंतर्गत विकास अनुमति देने के पूर्व समस्त नियमों का पालन कराते हुये विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा उक्त निगमों में दिनांक 19.04.2012 के नियम-10 के प्रावधान अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्गों एवं निम्न आय वर्गों के संबंध में संलग्न मानचित्र में उपदर्शित किया गया है इसकी गणना का परीक्षण स्वयं के स्तर से मान्य करने का दायित्व सक्षम प्राधिकारी का है। यदि प्रावधान में कोई कमी हो तो उसको समायोजित करने के पश्चात् ही विकास अनुमति जारी की जावे। तथा इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई समायोजन हो तो विकास अनुमति के पूर्व कार्यालय को अवगत कराया जावे।

5. आवेदित प्रकरण में कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर के द्वारा प्राप्त अनापत्ति एवं स्थल के सीमांकन के समय मार्ग की प्रस्तावित स्थिति के अनुसार यदि मार्ग समन्वय में फेर बदल होता है तो वह आवेदक को मान्य करना होगा तथा मानचित्र में दर्शित समस्त आंतरिक मार्गों एवं बाह्य मार्गों को यथा स्थिति निर्धारित चौड़ाई/लम्बाई का विकास करना होगा मार्गों की भूमि पर किसी भी प्रकार का किसी के भी द्वारा निर्माण या अवरोध किया जाना प्रतिबंधित होगा। तथा बंट मार्गों पर कल-डी-सेक का प्रावधान म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के अनुसार आवेदक को स्वयं के व्यय से करना होगा तथा कल-डी-सेक से प्रभावित भूखण्ड का विक्रय तदनुसार किया जा सकेगा।

आवेदकों समस्त विभागों से अनुमतियां प्राप्त करने के पश्चात् मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवासा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 22.10.2016 में प्रकाशित अनुसार रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थल पर विकास/निर्माण करने के पूर्व परियोजना का विनियामक प्राधिकरण से पंजीयन कराना आवश्यक होगा।

7. म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-100 एवं 101 का पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक से पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। म0प्र0 शासन के आदेशानुसार एवं म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-67 के अनुसार परिसर में प्रस्तावित खुले क्षेत्र व उपयुक्त स्थानों पर पर्याप्त वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।

8. अभिन्यास में आरक्षित भूखण्ड में किसी भी प्रकार के विकास कार्य को किया जाने के पूर्व इस कार्यालय से विधित्त अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा एवं विकास योजना के निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत अभिन्यास क्षेत्र में उपदर्शित भूखण्डों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन अनुमति हेतु स्वीकार्य फर्शी क्षेत्रानुपात, भवन की उचाई स्वीकार्य, आवृत्त क्षेत्र आदि की गणना व मापटण्ड जबलपुर विकास योजना-2021 के अध्याय-4 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत मान्य किये जा सकेंगे।

9. अनुमोदित अभिन्यास मानचित्र में उपदर्शित भूखण्डों के आकार प्रकार व क्षेत्रफल संबंधित विस्तृत जानकारी विकास अनुमति से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराया जाना आवश्यक होगा तथा आरक्षित खुले क्षेत्र को विधिवत विकसित आवेदक द्वारा स्वयं के व्यय से किया जाकर नगर निगम को हस्तांतरित किया जायेगा।

10. अभिन्यास मानचित्र में निर्धारित भूखण्डों के प्रयोजन आवेदक स्वयं के प्रेरणा से परिवर्तित नहीं कर सकता तथा भूखण्डों का संवित्तियन अथवा विभाजन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से स्वयं के प्रेरणा से नहीं कर सकता ऐसा किया गया कृत्य नियम विरुद्ध माना जाकर अभिन्यास मानचित्र को प्रभावशून्य कर दिया जायेगा।

11. म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-81(4) के प्रावधानों के अनुसार शहरी जल सवर्धन प्रणाली हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अनुमोदित मानचित्र अनुसार स्थानीय संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। उसके पश्चात् ही भूखण्ड पर जल एवं विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्था के द्वारा दिया जा सकेगा।

12. प्रस्तावित विकास के आसपास लगी भूमि की कालोनियों पर निर्मित अनुमोदित मार्गों के भूखण्डों एवं खुले तथा अन्य क्षेत्रों का समायोजन किया जावेगा तथा उक्त अनुमोदित मार्गों का किसी भी प्रकार से अवरुद्ध किया जाना मान्य नहीं होगा। अतः अनुमोदित मार्गों को गेट अथवा बाउन्ड्रीवाल से अवरुद्ध/बाधित किया जाना मान्य नहीं होगा। यदि आवेदक संस्था द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है, तो स्थानीय संस्था एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाधित किये गये मार्ग पर विधिवत वैधानिक कार्रवाई कर सकेंगे।

Digitally signed by EERAJ ANAND LIKHAR
Date: 2018.11.03 16:13:53 IST

- म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-93 के प्रावधान अनुसार प्रस्तावित प्रयोजन से उत्पन्न होने वाले लाभ भूमि पर्यावरण की दृष्टि से स्थानीय संस्था के मार्गदर्शन में स्थान सुरक्षित करना होगा, जिसका प्रबंधन कालोनाईजर संस्था द्वारा करना होगा।
4. म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-88-के प्रावधान अनुसार भवन का निर्माण भूकम्परोधी तकनीकी के अनु किया जावेगा। इन प्रक्रियाओं का पालन करना आवेदक का दायित्व होगा जो कि सक्षम प्राधिकारी की निगरानी में सुनिश्चित किया जायेगा।
15. भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना 14.09.2006 तक यथा संशोधित आधसू 01.09.2009 की अनुसूची की कंडिका 08(क) के अनुसार 20000 वर्गमीटर या अधिक किन्तु 1500000 वर्गमीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र के नगरीय और क्षेत्र विकास में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य है। म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-5-23/2003/32 भोपाल दिनांक 14 अक्टूबर 2005 में उल्लेख अनुसार भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक एसओ 801(ई) दिनांक 7 जुलाई 2004 के परिपेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के दायरे में आती है। तो ईकाई प्रबंधन को/संबंधित आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट/ई.आई.ए. तहत सक्षम प्राधिकारी यथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार अथवा स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी लेवल इनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरटी (एसईआईए) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही परियोजना से जुड़े निर्माण कार्य को प्रार करना आवश्यक व अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक इनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से जल एवं वायु सम्मति आवश्यक रूप प्राप्त किया जावे तथा निर्माण के पूर्व ई.आई.ए. क्लीयरेंस लेना भी अनिवार्य होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संबंधी समस्त प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। म0प्र0 शासन के आदेशानुसार कालोनी में पर्याप्त वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
16. जल-मल निकासी, वर्षा के जल की निकासी तथा जल-मल संवहन की व्यवस्था एवं पानी की पाइप लाइन, टपी आदि का निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/नगर पालिका निगम, जबलपुर के निर्देशन में निर्धारित मानकों व मानदण्डों के अनुसार उन्नत देख-रेख में की जावेगी तथा नगर निगम के मुख्य ड्रेन से जोड़ा जावेगा। एस.टी.पी. का निर्माण आवेदक संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वयं की भूमि पर स्थापित करना अनिवार्य होगा।
17. आपसे द्वारा प्रस्तुत पटवारी खसरा ट्रेस मानचित्र में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर या प्रस्तुत अभिन्यास मानचित्र में विरोधाभास या विसंगति पाये जाने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं की एवं अपने वास्तुविद/इंजीनियर दोनों की बराबर की होगी, तथा सिद्ध पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
18. अनुमोदित अभिन्यास मानचित्र की एक सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।
19. म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा-33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा 03 (तीन वर्ष) की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।
20. स्थल पर अनुमोदित अभिन्यास मानचित्र संबंधी जानकारी 5 x 4 फुट साइज के बोर्ड पर अंकित करना आवश्यक होगा।
21. इस अभिन्यास मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावे एवं यह अनुमति अहस्तांतरणीय होगी तथा उक्त स्थल मानचित्र को भू-स्वामित्व के रूप में किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना मान्य नहीं माना जावेगा। तथा इस अनुमति का उपयोग किसी प्रकार के ऋण प्राप्त करने हेतु तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि आवेदित भूमि का व्यवपत्तन व कालोनाईजर नियम-1998 के अंतर्गत अनुमतियां प्राप्त नहीं कर लेता।
22. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 भोपाल के आदेश क्रमांक 1754 दिनांक 03.04.2012 के अनुसार म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता-2004 (म0प्र0 इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कोड-2004) अनुसार आवासीय कालोनियों/बहुउपभोक्ता परिसरों के लिए अनुमति विद्युत प्रसार की गणना कर आवश्यक क्षेत्र आवेदकों को बिना शर्त के संबंधित विभाग को सौंपेगे तथा विभाग द्वारा विद्युत प्रदाय प्रणाली जहां तक संभव हो, पर्याप्त स्थान पर उचित क्षमता का सब स्टेशन/ट्रांसफार्मर स्थापित कर सूचना उपलब्ध रूप से इस कार्यालय को दी जावेगी।
23. आवेदक को नगर पालिक निगम जिला जबलपुर एवं अन्य विभागों से प्राप्त समस्त अनुज्ञाओं (विकास प्रयोजन) की एक प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा तथा अनुज्ञा प्रपत्रों में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

प्रस्तावित भूखण्डीय विकास हेतु अनुमोदित अभिन्यास मानचित्र अनुसार नियमों के अंतर्गत विकास अनुमति राक्षम प्राधिकार प्राप्त करने के पश्चात् विषयांकित भूमि पर विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि का सीमांकन जो अधिवृत रूप से राजस्व विभाग द्वारा किया गया है, तदनुसार सीमांकन के अनुरूप स्थल की सीमा में विकास अनुमति से पूर्व व भिन्नता उत्पन्न होती है तो इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सक्षम प्राधिकारी एवं आवेदक दोनों का दायित्व होगा त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पुनः सीमांकित स्थल मानचित्र इस कार्यालय से स्वीकृत करना होगा।

25. अनुमोदित स्थल मानचित्र में विपरीत किये गये विकास कार्य, गलत या असत्य जानकारी, आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई कथन जो शपथ पत्र अनुसार असत्य पाये जाने या भू-सीमा विवाद उत्पन्न होने की दशा में, किसी भी सक्षम न्यायालय विषयांकित भूमि से स्वामित्व से संबंधित कोई प्रकरण प्रचलन में होने व उसकी या किसी भी प्रकार की जानकारी इस कार्यालय छिपाये जाने पर, व उपरोक्त पैरा में वर्णित तथ्यों में वर्णन अनुसार ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने पर तथा पत्र में उल्लेखित कि भी शर्त का उल्लंघन होना सिद्ध पाये जाने पर अनुज्ञा म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-25 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित (रिट्कोक) कर दी जावेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की मानी जावेगी।

सलग्न:- एक मानचित्र।

(नीरज आनंद लिखार)

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जबलपुर, म0प्र0

दिनांक 02/10/2018

पू0क्रमांक 3019763023 नगानि/18/JBLLP4971

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ई-5 अरेरा कालोनी पर्यावरण परिसर भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ
2. आयुक्त नगर पालिक निगम, जबलपुर की ओर सूचनार्थ लेख है कि उपरोक्तानुसार आवेदन से शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. क्षेत्रीय अधिकारी म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजय नगर जबलपुर।
5. उप-पंजीयक (स्टाम्प) पंजीयन कार्यालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कार्यपालन यंत्री (शहर) म0प्र0 विद्युत वितरण कंपनी, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सलग्न:- एक मानचित्र।

(नीरज आनंद लिखार)

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जबलपुर, म0प्र0

Signature valid

Digitally signed by NEERAJ AN LIKHAR

Date: 2018.11.03 16:13:53 IST